फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

हरिमोहन बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 72/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/12/25	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 27, 28, वाके रामा कालवान तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जो कि प्रार्थी की पैतृक भूमि है प्रार्थीगण के पिता ठण्डीराम पुत्र गंगाधर की मृत्यू के बाद उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुआ तथा प्रार्थीगण की माता शांती पत्नि ठण्डीराम की मृत्यू होने पर उक्त भूमि का नामान्तकरण हरिमोहन के नाम दर्ज हुआ। सहवन गलती से जमाबंदी संवत 2072 से 2075 हरिमोहन पुत्र ठण्डीराम के स्थान पर जमाबंदी में वापिस भूमि मृतक शांती पत्नी ठण्डीराम के नाम हिस्सा1/4 दर्ज कर दिया जो कि गलत है। तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के क्रम संख्या 7 पर सहवन से हरिमन पुत्र ठण्डीराम हि0 1/4 है तथा क्रम संख्या 8 पर हरिमोहन पुत्र ठण्डीराम हिस्सा 1/12 है जबकि उक्त दोनो एक ही व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर शांति पत्नी ठण्डीराम के स्थान पर हरिमोहन पुत्र ठण्डीराम दर्ज किया जावे एवं जमाबंदी के क्रम संख्या 7 पर हरिमन पुत्र ठण्डीराम के स्थान पर हरिमोहन पुत्र ठण्डीराम दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तहसीलदार सिकराय से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में यह तथ्य स्वीकार किया है कि नामान्तकरण संख्या 1351 दिनांक 20.08.2009 के द्वारा शान्ति देवी पत्नी ठण्डीराम के बजाय हरिमन पुत्र ठण्डीराम के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जा चुका था। पत्रावली मे संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी, नामान्तकरण, ग्राम पंचायत का लैटर पेड इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रार्थी हरिमोहन का सभी दस्तावेजात में नाम भी हरिमोहन ही है जबकि जमाबदी के क्रम संख्या 7 हरिमन दर्ज है जो कि गलत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबदी में प्रार्थी का नाम हरिमन के स्थान पर हरिमोहन दर्ज किए जाने तथा शान्ति पत्नि ठण्डीराम के स्थान पर हरिमोहन पुत्र ठण्डीराम के नाम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	